फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रथा — विपक्षी : श्री लोगर वगेरह

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 216/15

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 07.11.19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित । वादी को दिनांक 17.11.15, 16.11.17, 11.6.19 से आदेशित किया जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक प्रतिवादगण के सम्मन पेश नहीं किये गये है, पत्रावली वर्ष 2015 से तलबी में ही चली आ रही है। अधिवक्ता वादी को इतनी बार आदेशित किया जाने के बावजूद सम्मन पेश नहीं करने पर प्रकरण सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 जा.दी. के तहत खारिज योग्य है। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा वादी श्री प्रथा के फौत होने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी. मय धारा 5 का वकालत पत्र के साथ प्रस्तुत किया। वादी की प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 पर बहस सुनी गई। पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार वादी प्रथा की मृत्यु दिनांक 19.01.2016 को हो चुकी है, जिसे लगभग 3 वर्ष 10 माह से भी अधिक समय व्यतित हो चुका है। जबकि वादी की मृत्यु हो जाने से अधिवक्ता को दिनांक 19.01.2016 को ही जानकारी होना स्पष्ट है। वादी की मृत्यु के 90 दिवस के भीतर–भीतर अधिवक्ता वादी को वारिस कायमी करा लेनी चाहीए थी, नियत अवधि में वारिस कायमी नहीं कराने पर वादपत्र स्वतः ही अबेट हो गया है एवं अबेट को निरस्त कराने की अवधि 60 दिवस वह भी बीत गई है, अब अधिवक्ता वादी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि पत्रावली में अधिवक्ता वादी को न्याय आपके द्वार कैम्प 2016 दिनांक 27.5.16, न्यायालय में आदेशिका दिनांक 3.11.16, न्याय आपके द्वार कैम्प 2017 दिनांक 01.05.17, न्यायालय आदेशिका दिनांक 16.11.17, न्याय आपके द्वार कैम्प 2018 दिनांक 26.6.18 एवं न्यायालय आदेशिका दिनांक 28.2.19, 11.6.19, 4.7.19, 24.10.19 से सुनवाई के दौरान सम्मन हेतु आदेशित किया गया था, तब भी अधिवक्ता वादी द्वारा वारिस कायमी नहीं कराई गई है। पत्रावली के अवलोकन से वादी अधिवक्ता की दावा दर्ज होने के बाद से ही रूची कम रही है क्योंकि इतने बार आदेशित करने के बावजूद भी वादी अधिवक्ता द्वारा आदेशों की पालना में प्रतिवादीगणों के सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है एवं न हीं वादी की वारिस कायमी कराई है। इससे स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादी अधिवक्ता एवं वादी के वारिसानों की किसी प्रकार की रूची नहीं है। उक्त प्रकरण में वादी की मृत्यु दिनांक 19.01.2016 को हो जाने से प्रकरण में वादी का वाद स्वतः ही अबैट हो चुका है एवं अबैट को निरस्त कराने की अवधि भी बीत चुकी है। ऐसी स्थिति में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वारिस कायमी का मयाद बाहर होने एवं दावा अबैट होने से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.का.अधि. का अधिवक्ता वादी द्वारा सम्मन प्रस्तुत नहीं करने पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी. सी एवं वादी प्रथा की दिनांक 19.01.16 को मृत्यु हो जाने से दावा अबैट होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO)मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा, I.A.S

उनवान

1. श्री प्रथा पिता अमरा गाडरी निवासी गाडरियावास तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री लोगर पिता नारायण गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
2. श्री धन्ना पिता दीपा गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
3. श्रीमती नोजीबाई पत्नी पुरा गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
4. श्री लालु पिता कालु गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
5. श्री नाथु पिता लाला गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
6. श्री मेघा पिता लाला गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
7. श्री भमरू पिता लाला गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
8. श्रीमती गुलाबी पत्नी लाल गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
9. श्रीमती मोवनी पत्नी वरदा गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
10. श्रीमती भमरी पुत्री वरदा गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
11. श्रीमती इन्द्रा पुत्री दला गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
12. श्रीमती धन्नी पुत्री दला गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
13. श्रीमती हगामी पुत्री दला गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
14. श्रीमती तुलसी पुत्री दला गाडरी निवासी गाडरियावास तह.मावली।
15. श्री मांगीलाल पिता उदयलाल सुथार निवासी गाडरियावास तह.मावली।
16. श्री इन्द्रलाल पिता मांगीलाल सुथार निवासी गाडरियावास तह.मावली।
17. श्री रामेश्वर पिता जोधा जाट निवासी गाडरियावास तह.मावली।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 216/15 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.का.अधि. का अधिवक्ता वादी द्वारा सम्मन प्रस्तुत नहीं करने पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी एवं वादी प्रथा की दिनांक 19.01.16 को मृत्यु हो जाने पर दावा अबैट होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.11.2019 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2019.11.11 13:01:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: